

दाखल ता 22 APR 2016

purel

SCC 1109
16

सहाय्यक अधीक्षक
लोहमार्ग न्यायालय दौंड

शिकायत पत्र

मा. न्यायाधीश/अधीक्षक प्रथम वर्ग लोहमार्ग न्यायालय दौंड की सेवा में सविनय सादर

- 01 आर.पी.एफ थाना :- सोलापूर
- 02 अपराध क्र :- 192...../2016
- 03 धारा :- 144(A)..... रेल अधिनियम
- 04 घटना का दिनांक एवं समय :- दि. 22/4/16 को समय 07:30 बजे
- 05 घटनास्थल :- सोलापूर स्टेशन
- 06 फरियादी का नाम एवं पता :- आ/प्र.आ. एस.एच. बोर्डे RPF थाना सोलापूर
- 07 सलिप्त व्यक्ती का नाम व पता नामेश चंद्रकांत कंदल गावळर इट 35
R/o. म. ग. पं. म. स्कूल केपाम रामधारी
- 08 जप्त मुद्देमाल का विवरण :-
- 09 मा. न्यायालय में हाजिर रहने की :- दि. 22/04/16 को समय 11:00 बजे
- 10 जांच अधिकारी :- आर. डी. काशिनाथ ASI/SIPF/थाना सोलापूर
- 11 घटना का साक्षिप्त विवरण :- मा. न्यायालय की सीमा एवं रेलवे सुरक्षा बल थाना सोलापूर के कार्यक्षेत्र में दिनांक 22/4/16 को कॉलम न. 07 के व्यक्ती द्वारा कॉलम न. 04 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूपसे रेलवे स्टेचर पर चढ़ाव बेचने पाये जाते पाए.

रेल अधिनियम की धारा 144(A) का उल्लंघन किया है कारणवश उक्त व्यक्ती को रेल अधिनियम के तहत "नोटिस" जारी कर उचित कानूनी कार्यवाही होने हेतु मा. न्यायालय के समक्ष उक्त मामले का विचारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनंती है की, उक्त व्यक्ती के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करके उक्त व्यक्ती के पास से जप्तशुदा माल को निपटारा हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें।

[Signature]
न.हु.मा.महादे

सलिप्त व्यक्ती के हस्ताक्षर *[Signature]*

संजय 2008 L
व्यक्ती क्र 0024123
2

सहाय्यक अधीक्षक,
लोहमार्ग न्यायालय दौंड

Judicial Magistrate
J.M.F.C. (Riy.) Daund
22 APR 2016

15 days
to pay a fine of Rs. 2000/-
in default of which the accused shall be liable to be committed to custody in the District Jail for a period of 14 days.
The Magistrate of District has recorded the order as follows:-
No Exn - 01

22 APR 2016

गोवर्धन, दांडे,
प्रमाण वगैरे साक्ष्यविवेकी

प्रमाण



प्रमाण वगैरे साक्ष्यविवेकी